राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 10/22

दायर दिनांक 06.04.2022

पीठासीन अधिकारी—श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1- महिपाल पुत्र भागचन्द चौधरी जाति जाट नि0 बजरंग कॉलोनी, किशनगढ़ जिला अजमेर

.......अपीलार्थी

बनाम

1. कल्याण पुत्र आसु जाति ब्राह्मण नि0 ग्राम काठोदा तह0 रूपनगढ़ हाल नि0 वार्ड न0 6 लाडपुरा जिला कोटा
2. ग्राम पंचायत भदूण जरिये सरपंच, ग्रा0पं0 भदूण तहसील रूपनगढ़
3. तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू—राजस्व अधि0 1956

निर्णय

दिनांक 25.08.2022

उपस्थित अधिवक्ता— श्री रामदेव गुर्जर अपीलान्ट की ओर से
श्री विमल किशोर तिवाड़ी , अरविन्द कुमार दाधीच रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 की ओर से

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम काठोदा पटवार हल्का भदूण तह. रूपनगढ़ के वर्तमान ख0न0 1 रकबा 2.7425 है0 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.01.2022 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 240 में पृष्ठ संख्या 170 क्रम संख्या 202203352100353 पर उपपंजीयक रूपनगढ़ के समक्ष खातेदार/रेस्पोडेंट संख्या 1 से सम्पूर्ण बहूमुल्य/प्रतिफल राशि अदा करके खरीद किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 31.01.2022 को सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करके अपीलार्थी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करवा कर मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया है जिसके पश्चात आज दिन तक अपीलार्थी काबिज काश्त है। अपीलार्थी द्वारा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 31.01.2022 के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 2 के समक्ष विक्रय नामान्तरकरण खुलवाने बाबत् प्रस्तुत किया है जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा पाक्षिक बैठक दिनांक 07.02.2022 को प्रस्ताव संख्या 3 से नामान्तरकरण संख्या 1390 दिनांक 02.02.2022 को विक्रय नामान्तरकरण अपीलार्थी के पक्ष में स्वीकृत किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा दिनांक 21.02.2022 को प्रस्ताव संख्या 7 में पुनर्निर्णय (रिव्यु) लेकर विक्रय नामान्तरकरण के पृष्ठ भाग पर अंकन किया कि पुनश्च पाक्षिक बैठक दिनांक 21.02.2022 प्रस्ताव संख्या 7 की अवतरित प्रतिलिपि प्रस्ताव संख्या 7 पुनिनिर्णय ग्राम काठोदा के प्रबुद्ध नागरिको द्वारा अवगत कराया कि कल्याण पुत्र आसू जाति ब्राह्मण ने कभी निवास नहीं किया अतः जांच करने पर पाया कि काठोदा के ग्रामीणों द्वारा दी गई सूचना सही पायी गयी। अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए दिनांक 07.02.2022 प्रस्ताव संख्या 3 नामान्तरकरण संख्या 1390 जो पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया उक्त निर्णय विवादित पाये जाने से सर्वसम्मति से निरस्त किया गया उक्त निर्णय विवादित पाये जाने से सर्वसम्मति से निरस्त किया जाता है भूमि का स्वामित्व इस नामान्तरकरण के पूर्व की यथास्थिति रहेगी। इस प्रकार रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा अपने मनमाने रूप से अपीलार्थी के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1390 दिनांक 02.02.2022 को निरस्त कर दिया जो एक अ[illegible] पर प्रकरण को पुनः नहीं सुना जा सकता है एवं नामान्तरकरण निरस्त बा[illegible]क प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी है जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धा[illegible] प्रभावित पक्षकार को नोटिस देना आवश्यक है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा अ[illegible]धिकारों का दुरूपयोग कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो [illegible] है। ग्राम पंचायत/रे[illegible]संख्या 2 द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 07.02.2022 [illegible] नामान्तरकरण स्वीकृत कि[illegible] है। तत्पश्चात दिनांक 21.02.2022 को नामान्तरकरण को प्रस्ताव संख्या 7 के तहत पुनश्च के आधार पर निरस्त किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.12.15 14:28:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

... का सुस्थापित सिद्धान्त है कि कोई भी व्यक्ति किसी ग्राम का अधिवासी हो या ना हो सम्पूर्ण भारत में भारतीय संविधान में प्रदत्त सम्पति के अधिकार के तहत भूमि खरीद कर सकता है इस प्रकार विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है जो कतई विधि के तहत उचित नहीं है।

रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा अपने पुनर्निर्णय में यह अंकित नहीं किया कि उक्त नामान्तरकरण किसी व्यक्ति की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर लिया गया एवं ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गयी तो ग्रामीणों के नाम अंकित नहीं किये गये एवं केवल मात्र कल्याण पुत्र आसू ग्राम काठोदा में निवास नहीं करता है उक्त आधार पर नामान्तरकरण निरस्त कर दिया गया जो रेस्पोडेट संख्या 2 का अवैधानिक कृत्य है जो रिव्यु प्रकरण में पुनः निर्णय नहीं किया जा सकता है जबकि सरसरी गलतियों को सुधारा जा सकता है। राजस्व रिकार्ड में विक्रय पत्र दिनांक 31.01.2022 के आधार पर स्वीकृत. नामान्तरकरण 1390 के तहत अपीलार्थी का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होकर खातेदारी में दर्ज हो गयी जिसके पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 2 के अवैधानिक पुनश्चः आदेश दिनांक 21.02.2022 के तहत पुर्विलोपित नामान्तरकरण 1390 दिनांक 28.02.2022 को पुनः रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया जो अवैधानिक है। खातेदारी के दर्ज होने के पश्चात उक्त नामान्तरकरण की अपील की जानी चाहिए थी परन्तु पुनश्चः के तहत नामान्तकरण निरस्त नहीं किया जा सकता है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स की तलबी जरिये नोटिस की गयी। रेस्पोडेंट्स के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से वकील श्री विमल किशोर तिवाड़ी उपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से वकील श्री अरविन्द कुमार दाधीच उपस्थित। वकील रेस्पोडेंट्स संख्या 1 व 2 ने प्रकरण में NO OBJECTION जाहिर किया। वकील अपीलार्थी की ओर से प्रकरण में लिखित बहस पेश की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन व बहस पर मनन किया। चुंकि वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से प्रकरण में नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने बाबत् सहमति जाहिर की गयी एवं ग्राम पंचायत ने अपने पुनःनिर्णय दिनांक 21.02.2022 में नामांतरकरण खारिज करने का कोई विधिसम्वत् आधार नहीं बताया है तथा बेचानकर्ता को निवास नहीं करना बताया है जो नामांतरकरण खारिज करने का पर्याप्त आधार नहीं है। अतः इस आधार पर ग्राम पंचायत भदूण की पाक्षिक बैठक दिनांक 07.02.2022 के प्रस्ताव संख्या 3 के द्वारा पारित ग्राम काठोदा के नामान्तरकरण संख्या 1390 के निर्णय को यथावत रखा जाता है तथा पाक्षिक बैठक दिनांक 21.02.2022 के प्रस्ताव संख्या 7 के द्वारा पारित पुनर्निर्णय को खारिज किया जाता है। ग्राम पंचायत भदूण की पाक्षिक बैठक दिनांक 07.02.2022 के प्रस्ताव संख्या 3 से ग्राम काठोदा के नामान्तरकरण संख्या 1390 कें स्वीकृत निर्णय का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु रेस्पोडेंट संख्या 3 (तहसीलदार रूपनगढ़) को आदेश दिये जाते है।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.12.15 14:28:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)